सीवाईजेडपीके0459ई व आधारकार्ड संख्या 4642 0026 4937, भामाशाह कार्ड संख्या वीपीजेडजेडडब्लूओटी की फोटो प्रति में प्रार्थीया कमा एवं कमुड़ी एक ही व्यक्ति/महिला के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय कमुड़ी के स्थान पर कमा/कम्मा दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि कमा एवं कमुड़ी दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये कमा पत्नी मुराद खां/ कम्मा बेगम पत्नी मुराद अली के स्थान पर कमुड़ी पत्नी मुराद खां का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम कठौती के खाता संख्या 90 व ग्राम चावड़ा नगर के खाता संख्या 14 में दर्ज खातेदार नाम कमा पत्नी मुराद खां/ कम्मा बेगम पत्नी मुराद अली के स्थान पर वास्तविक नाम कमुड़ी पत्नी मुराद खां दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम कठौती तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 90 तथा ग्राम चावडा नगर के खाता संख्या 14 में दर्ज नाम कमा पत्नी मुराद खां/ कम्मा बेगम पत्नी मुराद अली के स्थान पर कमुड़ी पत्नी मुराद खां दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 30/12/2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

30/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner